

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
—: अधिसूचना :-

श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन निलंबित नियोजन पदाधिकारी विभागीय आदेश ज्ञापांक-3893 दिनांक-15.10.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त किये गए। श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपनी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका CWJC No.-20002/2014 सत्येन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर की गई थी। श्री सत्येन्द्र कुमार की बर्खास्तगी के संबंध में CWJC No.-20002/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा PLJR-435/2015(4) में रिपोर्टेड हसन मुजाहिद बनाम बिहार राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड एवं अन्य में दिये गए न्यायनिर्णय को उद्धृत करते हुए न्यायादेश की कंडिका 5, 6 तथा 7 में निम्नवत आदेश दिया गया है:-

'5. In view of the aforesaid consideration, similar order may be passed in the instant case also so that all the issues raised by the petitioner in response to the second show cause may be considered by the Disciplinary Authority afresh. Such consideration must be done having due regard to the opinion given by the BPS in favour of the petitioner. Since the matter has been lingering and the petitioner is being harassed, this Court considers it appropriate that the Disciplinary Authority may take a final decision in respect of the petitioner by a reasoned and speaking order dealing with all the points raised by the petitioner in his second show cause within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. The entitlement of the petitioner would abide by the final result as has been done in the case of Hassan Muzahid (supra).'

'6. If the final decision is not taken within three months, the entitlement of the petitioner would not be kept pending.'

'7. It is made clear that upon remand of this matter before the Disciplinary Authority, the petitioner would be treated as under suspension and benefits arising out of such status should be made available to him.'

2. श्री सत्येन्द्र कुमार दिनांक-23.01.2014 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। अतएव CWJC No.-20002/2014, सत्येन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-31.07.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी (निलंबित) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश ज्ञापांक-3893 दिनांक-15.10.2013 को रद्द करते हुए श्री सत्येन्द्र कुमार को दिनांक-15.10.2013 से उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि दिनांक-23.01.2014 तक निलंबित किया जाता है। इस अवधि में श्री सत्येन्द्र कुमार का मुख्यालय निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष), बिहार, पटना समझा जायेगा।

3. माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उठाये गये बिन्दुओं तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गए परामर्श के प्रति

अपेक्षित सम्मान रखते हुए सक्षम प्राधिकार के आदेश से सकारण आदेश (Reasoned and Speaking Order) पारित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुधा रानी )

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक -6/श्रम वि० आ० (01)- 63/2014 श्र०सं०-

प्रतिलिपि- श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी (निलंबित) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, S/O- स्व० रामावतार सिंह, ग्राम+पो०-प्यारेपुर, थाना-गिरियक, जिला-नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक -6/श्रम वि० आ० (01)- 63/2014 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक -6/श्रम वि० आ० (01)- 63/2014 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक -6/श्रम वि० आ० (01)- 63/2014 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

ज्ञापा सं०-6/श्रम वि०आ० (01)-63/2014 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ उपस्थापित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -6/श्रम वि० आ० (01)- 63/2014 श्र०सं०- 187 पटना, दिनांक-22/01/2019  
प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/विशेष सचिव/सभी विशेष कार्य  
पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी०  
मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Kami*  
22.1.19  
विशेष कार्य पदाधिकारी

आई०टी० नंबर 7